229

336

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

- - - - - - - - - - - -

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R 2473-I/12

मोहम्मद जमील तनय फलई मुसलमान सा.बहेरा तह. देवसर जिला. सिंगरौली म.प्र. ----- निगरानी कर्ता/आवेदक

बनाम

1. सुखलाल तनय इन्द्रलाल गुप्ता सा. बहेरा , तह. देवसर
2. मो. यासीन तनय फुलेल वक्स
3. अमिनिया वेवा पत्नी फुलेल वक्स दोनो निवासी ग्राम.घघवा जियावन तह. देवसर जिला. सिंगरौली म.प्र.
4. सखीना वानो वेवा पत्नी नईमुल्ला
5. मुन्ना वक्स तनय नईमुल्ला ,
6. वावा वक्स तनय नईमुल्ला , दोनो नावालिग वली संरक्षिका माता सखीना वानो उक्त सभी निवासी ग्राम. दोगा .तह. देवसर जिला. सिंगरौली म.प्र.
7. मो. युसुफ तनय नईमुल्ला ,
8. मो. छोटकू तनय नईमुल्ला दोनो निवासी ग्राम. दोगा तह. देवसर
9. गुलझार मोहम्मद तनय अजिमुल्ला सा. दोगा , तह. देवसर जिला. सिंगरौली म.प्र.
10. म.प्र. शासन -------- अनावेदक गण

क्रमांक 2081 ... द्वारा आज 26.7.12 को प्राप्त ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अधिवक्ता श्री एस.के. ... द्वारा प्रस्तुत किया. दि. 29.6.2012
24.6.12

निगरानी वावत् तहसीलदार महोदय तह.देवसर जिला. सिंगरौली के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 7/अ.6/11.12 पर पारित अन्तरिम आ. दि. 27.3.12 के सम्बंध मे ।

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

निम्नवत् तथ्यो एवं आधारो पर यह निगरानी आवेदन पत्र माननीय के समक्ष प्रस्तुत है:-

निगरानी के तथ्य:-

1= यहकि मौजा बहेरा तह. देवसर जिला. सिंगरौली म.प्र. स्थित आ. ख. क्र. 35, 36, 37/1, 38/1 , 39 कुल किता 5 के 1/3 भाग के भूमि-स्वामी आवेदक एवं 1/3 भाग के अनावेदक क्र. 2 है , एवं 1/3 भाग के -

29/6/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक निग.2473–I/2012

मो0 जमील/सुखलाल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 7/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 44(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित रहें। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	